न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 79/2018 दर्ज तिथिः– 31.07.2018

1. लहरी पुत्र रंगली जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
2. श्रीलाल पुत्र रंगली जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
3. पप्पू पुत्र रंगली जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमराज पुत्र भौरया जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
2. शोभाराम पुत्र भौरया जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
3. वीरसिंह पुत्र रामफल जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
4. फूलसिंह पुत्र रामफल जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
5. जगनी बेवा रामफल जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तह0 महवा
7. उप पंजीयक महवा

..... अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री ओ0पी0 बैनीवाल
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री भंवर सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते महवा दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय ::–

निर्णय तिथि :– 19.05.2025

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 841/0.13, 842/0.07, 843/0.07, 844/0.09, 1106/0.33, 1107/0.16, 1110/0.08, 1111/0.08, 1112/0.10, 1113/0.02, 1116/0.22, 1119/0.30, 1134/0.18, 1135/0.23, 1136/0.02, 3137/0.15, 3138/0.20, 3139/0.06 कुल किता 18 कुल रकबा 2.49 हैक्टेयर वाके ग्राम सांथा

CamScanner

तहसील महवा जिला दौसा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सम्मिलित कब्जे काश्त की आराजीयात है। आराजीयात का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात का मौके पर मनबट कर रखा है और इसी मनबट के अनुसार हिस्से में आयी हुई आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है और इसी हिस्सेनुसार राज लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। वाक्या दिनांक 19.07.2018 का है कि प्रार्थी पप्पू अपने खसरा नं. 841 में बोई गई फसल की देखभाल करने अन्य आराजी में होकर जा रहा था इतने में अचानक सभी अप्रार्थीगण हाथो में लाठी डण्डे लेकर प्रार्थी के पास आ धमके और कहा कि हमारी आराजी में होकर तुझे निकलने की हिम्मत कैसे हो गई हम तुझे हमारी जमीन में होकर नही निकलने देंगे। प्रार्थी ने हाथ जोडकर कहा कि जिस समय हम सभी ने मनबट किया था उसमें यह तय किया गया कि रोड के सामने वाली जमीन से पीछे वाली जमीन जिसके हिस्से में रहेगी वह खेती बाडी के लिये ट्रेक्टर हल या अन्य कृषि संबंधी कार्य के लिये अपने जाने के लिये रास्ता रोड के सामने वाली जमीन मे होकर रहेगा, और इसी के मुताबिक आज तक हम सभी इसी तरह से आवागमन कर खेती करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण नाराज हो गये और धमकी देने लगे कि हम रोड के सहारे की जमीन की चारों तरफ से पुख्ता निर्माण कर तुम्हारा रास्ता अवरूद्ध कर देगे और किसी लाठी वाले पैसे वाले व्यक्ति को बेचान कर देंगे प्रार्थी ने हाथ जोडकर कहा की भाई हम सभी की शामलाती आराजी है मेरा भी इसमें हिस्सा है। सभी हिस्सेदार तहसील मे चलकर आराजीयात का अलग–अलग खाता कायम करा लेते है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा साफ इंकार कर दिया और धमकी दी की हम तेरे हिस्से की जमीन पर लाठी के बल कब्जा कर तुझे बेदखल करके रहेगे और तेरे हिस्से की आराजी को गडढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बना देंगे और तुझे काश्त नही करने देंगे। इसलिये न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के रास्ते को अवरूद्ध करने की धमकी व उक्त आराजी पर काश्त नही करने देने से प्रार्थीगण अपने कानूनी हक हकूको से वंचित हो जायेगा जिसकी पूर्ति उसे किसी प्रकार से होना संभव नही होगी। अंत में निवेदन किया कि खसरा नं. 841 में बोई फसल व अन्य सम्मिलित खसरा नंबरान में होकर निकलने हेतु रास्ते के उपयोग–उपभोग करने देवे व अप्रार्थीगण को इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण को अपनी आराजी की देखभाल करने व काश्त करने से नही रोंके। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे, पुख्ता निर्माण नही करे।

CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से श्री भंवर सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दावे में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण संख्या 06 लगायत 07 के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। अपने जबाव में कथन कहा कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने जिस समय विवादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा किया उसी समय प्रार्थीगण के हिस्सा में आपसी आराजी को आने जाने के लिये प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि खसरा नं. 844/0.09 में होकर प्रार्थीगण का रास्ता तय किया था। प्रार्थीगण आज तक उसी आराजी में होकर आ जा रहे है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम सांथा का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि वादपत्र प्राथमिक रूप से डिक्री किया जा चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः आदेश यह है कि :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पावंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 841/0.13, 842/0.07, 843/0.07, 844/0.09, 1106/0.33, 1107/0.16, 1110/0.08, 1111/0.08, 1112/0.10, 1113/0.02, 1116/0.22, 1119/0.30, 1134/0.18, 1135/0.23, 1136/0.02, 3137/0.15, 3138/0.20, 3139/0.06 कुल किता 18 कुल रकबा 2.49 हैक्टेयर वाके ग्राम सांथा तहसील महवा जिला दौसा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें । राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner